न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 25/2009

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. खींयाराम पुत्र लादुराम जाति–माली निवासी–लिलरिया (आ0कालू) तह.–जैतारण जिला–पाली

1. रामचन्द्र पुत्र हरदीन जाति–माली निवासी–लिलरिया (आ0कालू) तह.–जैतारण जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 19/02/2009

उपस्थितः– 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 26/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–लिलरिया, पटवार हल्का–आ0कालू–चक–एक, तहसील–जैतारण में सायल व गैरसायल व अन्य सह खातेदारान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व शामलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 181, 389, 393, 405, 410, 446 कुल खसरा 6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बीस्वा किस्म चाही सोयम, गैरमुमकिन की आई हुई हैं। उक्त भूमि सायल व गैरसायल व अन्य सह खातेदारान की पैतृक पुश्तैनी शामलाती आई हुई हैं। लेकिन सायल व गैरसायल का परिवार बडा होने से मौके पर अलग अलग अपने–अपने हिस्से माफिक काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 466 रकबा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ग्राम–लिलरिया की आबादी के पास स्कूल के सामने होने से सायल व गैरसायल व अन्य हिस्सेदार अपने 1/4 हिस्से अनुसार बाडे बनाकर गाये भैसे मवेशी बांधते हैं तथा अन्दर चारा बलिता डालते हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नहीं होने से सायल व गैरसायल को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। खसरा नम्बर 446 पर गैरसायल व इनके भाईयों ने बटवाडा हुये बिना ही चुना, पत्थर, पटिये लाकर दिनांक 15/02/09 को डाल दिये और सायल को ऐलानिया कहा कि मैं उक्त भूमि पर मकान बनाउगा। जबकि गैरसायल का अलग से रहवासी मकान आबादी में बना हुआ हैं। खसरा नम्बर 446 रकबा 18 बीस्वा आबादी के पास होने से रोड की तरफ अकेला पक्का निर्माण करना चाहता हैं। जबकि गैरसायल को बंटवाडा किये बिना किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसके उपरान्त भी गैरसायल केवल मात्र लाठी के बल पर जबरदस्ती कानून हाथ में लेकर शामलाती जमीन पर पक्का निर्माण करने पर उतारु हैं व मेट्रेरियल, चुना, पत्थर, पढियें डालकर नीवें खोदने पर उतारु हैं। गांव के मौजिज व्यक्तियों ने गैरसायल व इनके भाईयों को समझाईश की लेकिन गैरसायल नहीं माना और रात बिरात नीवें खोद कर पक्का निर्माण करना चाहता हैं। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में सायल का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं व गैरसायल व इनको भाई व माता का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं व अन्य सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 10/14 हिस्सा व खसरा संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 11 का 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं। खसरा नम्बर 5 में प्रतिवादी संख्या एक से पांच का 1/4 हिस्सा आया हुआ है व सायल का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का खसरा नम्बर 5 में कोई हिस्सा नहीं हैं। क्योकि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पिता माफिक मौके पर काबिज हैं। इसलिए उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर मुण्डागडी कराई जाकर खाता व लगान अलग अलग की जाना जरुरी हैं। अन्यथा मौके पर लडाई झगडा होगा, जिससे सायल बार होगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी होने व सायल का अपने 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टिया केस सायल के पक्ष में बहुत ही मजबूत हैं व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायल केवल मात्र लाठी के बल पर जबरदस्ती कानून हाथ में लेकर शामलाती जमीन पर बिना कानूनन बंटवाडा करवायें ही पक्का निर्माण कर लेगा, तो सायल को गैरसायल के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करने पडेगें, जिससे सायल जैरबार होगा व सायल अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायल किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें इसलिए गैरसायल को उक्त भूमि का बिना बंटवाडा करवायें कच्चा या पक्का निर्माण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरुरी हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19/02/2009 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। विवादित आराजी में निर्माण कार्य करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–लिलरिया, पटवार हल्का–आ0कालू–चक–एक, तहसील–जैतारण में सायल व गैरसायल व अन्य सह खातेदारान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व शामलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 181, 389, 393, 405, 410, 446 कुल खसरा 6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बीस्वा किस्म चाही सोयम, गैरमुमकिन भूमि की विवादित आराजी में निर्माण कार्य करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को न्यायालय हाजा के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 19/02/2009 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner